फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 82/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/86)
श्री देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर बनाम श्री पोखर व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>27.08.2024</td><td>उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री प्रदीप शर्मा - वकील अपीलार्थी
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2

अनवान
1. श्री देवीलाल उर्फ देवा पिता स्व. श्री लालूजी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द।
-अपीलार्थी
बनाम
1. श्री पोखर पिता स्व. श्री लालूजी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।
-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018, प्रकरण संख्या-133/2018 बउनवानी श्री पोखर बनाम सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27.08.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018, प्रकरण संख्या-133/2018 बउनवानी श्री पोखर बनाम सरकार, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

• वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री पोखर पिता लालू गुर्जर द्वारा कैंप कोर्ट कियावड़ी-न्याय आपके द्वार के दौरान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि राजस्व ग्राम भावा पटवार हल्का भावा, तहसील व जिला राजसमंद में खाता संख्या 195 नई व पुरानी 160 में उसके खातेदारी की कुल किता 7 रकबा 9.16.10 बीघा एवं खाता संख्या 196 नई व पुरानी 110 में उसके खातेदारी की कुल किता 2 रकबा 6.11 बीघा स्थित होकर वह उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के पड़ौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद रहा है और उसकी भूमि को नुकसान पंहुचाता है। भूमि में पैदा होने वाली फसल को भी नुकसान पंहुचाया जाता है, जिसके बचाव हेतु भूमि के चारों ओर पत्थरों की कोट बनाया जाना आवश्यक है। भूमि के चारों ओर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है, इसलिए वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारों दिशाओं की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

• सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्री पोखर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कैंप कोर्ट में स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 09.05.2018 पारित कर करते हुए वांछित पत्थरगढ़ी का आदेश प्रसारित किया।

अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 07.07.2023 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 82/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/86) **श्री देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर बनाम श्री पोखर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जादी का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 11.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 23.08.2024 को वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 31.07.2024 को प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर सुनी गई। वकील प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाई गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 दोनों सगे भाई है, जिनके मध्य पैतृक सम्पत्तियों का विभाजन सन् 2013 में सहमति से हुआ जिसमें ग्राम भावा की आराजी संख्या 976/1, 978/1, 983/4, 993/1, 994/1, 996/1 प्रयर्थी-1 एवं अपीलार्थी के हिस्से में 983/2, 983/3, 983/5, 984, 986, 993/9, 994/2, 995 व 996/2, 997/1 आई एवं पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कैंप कोर्ट में प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात की पत्थरगढ़ी बाबत निवेदन किया जिसमें उसके द्वारा पड़ोसी भूमि के खातेदार से विवाद होना बताया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल नील गाय से फसलों को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश पारित किया जबकि प्रत्यर्थी-1 द्वारा उनके समक्ष पड़ोस से विवाद का कारण बताया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रत्यर्थी-1 को सुना गया, वर्तमान अपीलार्थी जो कि पड़ोसी खातेदार था, उसे न तो पक्षकार संयोजित किया गया, न ही उसका पक्ष सुना गया, न नोटिस जारी किया गया। केवल कैंप कोर्ट में एक ही दिन में प्रकरण निस्तारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी-1 द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करा पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहता है। अपीलाधीन आदेश की पालना में जो पत्थरगढ़ी की गई है, वह पूरी नहीं की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपना उज्र भी पेश किया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध व्यक्ति है, उसकी भूमि को पत्थरगढ़ी की आड़ में कब्जा करना चाहते है, ऐसें में हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की पेश की गई। चूंकि प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी को आवश्यक पक्षकार होने उपरान्त भी पक्षकार नहीं बनाया, न ही सुनवाई का अवसर लिया, अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे निर्णय की ससमय जानकारी न हो सकी और जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत-आरआरडी 2002 पेज 271, आरआरड 1997 पेज 287, आरआरडी 2008 पेज 217, आरआरडी 2017 पेज 289, आरआरटी (1) पेज 608 पेश किये। **अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के खण्डन में लिखित एवं मौखिक बहस एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के जवाब में पेश किया कि** राजस्व ग्राम भावा पटवार हल्का भावा, तहसील व जिला राजसमंद में खाता संख्या 195 नई व पुरानी 160 में प्रत्यर्थी-1 की खातेदारी की कुल किता 7 रकबा 9.16.10 बीघा एवं खाता संख्या 196 नई व पुरानी 110 में प्रत्यर्थी-1 की खातेदारी की कुल किता 2 रकबा 6.11 बीघा स्थित होकर वह उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के पड़ौसी भूमि की सीमा को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 82/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/86) **श्री देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर बनाम श्री पोखर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लेकर आये दिन विवाद रहा है और उसकी भूमि को नुकसान पंहुचाता है। भूमि में पैदा होने वाली फसल को भी नुकसान पंहुचाया जाता है, जिसके बचाव हेतु भूमि के चारों ओर पत्थरों की कोट बनाया जाना आवश्यक है। भूमि के चारों ओर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है, इसलिए वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारों दिशाओं की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर जांच उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक विधिक आदेश पारित किया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की पालना में पत्थरगढ़ी हो चुकी है, जिससे यह अपील प्रभावहीन है। प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाधित है, जो कारण प्रस्तुत किये है, वह अविश्सनीय एवं असंतोषप्रद है। अपीलार्थी को फौजदारी प्रकरण दर्ज होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हो चुकी थी, परन्तु उसके द्वारा अपील ससमय पेश नहीं की गई। प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराई, जिससे अपीलार्थी के कोई हित प्रभावित नहीं होते है, ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी पोषणीय नहीं है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। **प्रत्यर्थी तहसीलदार की ओर उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतयाः विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।** **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का पेश कर कथन किया कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करा पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहता है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध व्यक्ति है, उसकी भूमि को पत्थरगढ़ी की आड़ में कब्जा करना चाहते है, ऐसें में हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की पेश की गई। इसके विपरित अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा कथन प्रस्तुत किये कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराई, जिससे अपीलार्थी के कोई हित प्रभावित नहीं होते है, ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी पोषणीय नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं प्रस्तुत जवाब पर मनन एवं विश्लेषण उपरान्त यह पाया गया कि विवादित भूमि के पड़ोस की भूमि अपीलार्थी की है और आवेदन अन्तर्गत धारा-128 में पड़ोस की भूमि के खातेदार से विवाद होना अंकित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था, परन्तु यह नहीं किया गया। ऐसे में एक हितबद्ध व्यक्ति को मात्र तकनीकी बिन्दु पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का स्वीकार किया जाना अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय में उसे पक्षकार नहीं बनाया जाना और न ही उसे सुना जाना बताया है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय होना बताया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 82/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/86) **श्री देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर बनाम श्री पोखर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि- Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा कैंप कोर्ट न्याय आपके द्वार के दौरान अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में पड़ोसी खातेदार से सीमा ज्ञान नहीं होने से विवाद की स्थिति और नील गायों के कारण फसल को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत पत्थरगढ़ी चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार उनके द्वारा केवल नील गायों से होने वाले नुकसान का कारण अंकित करते हुए वांछित पत्थरगढ़ी के आदेश प्रसारित किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र कैंप कोर्ट में प्राप्त हुआ और उसी दिन उसका निस्तारण किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-111 का यह सार है कि आसामियों के सीमा विवाद के मामले भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रचलित सर्वे मानचित्र के आधार पर निपटाये जावेगें और जहां मानचित्र उपलब्ध न हो, वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर ऐसे मामलें निपटाये जावेगें। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह प्रकट करते हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया का पालना किया गया हो। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि का पड़ोसी खातेदार है और उसको प्रकरण में पक्षकार संयोजित न कर उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 82/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/86) **श्री देवीलाल उर्फ देवा गुर्जर बनाम श्री पोखर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक्ट को एडमिशन स्तर पर स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। जहां तक अपीलाधीन आदेश की पालना का प्रश्न है, उक्त आदेश की पालना की जा चुकी है, परन्तु उक्त पालना की कार्यवाही सभी प्रभावित पक्षकारान की अनुपस्थिति एवं एक त्रुटिपूर्ण आदेश की पालना में की गई है, ऐसी कार्यवाही/पालना औचित्यपूर्ण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण पालना के संबंध में अपना उज्र भी तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे में एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश की पालना की कार्यवाही उचित नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह पाया गया कि उक्त नजीरें में प्रतिपादित सिद्वान्त इस प्रकरण पर लागु होकर अपीलार्थी के विधिक बिन्दुओं पर प्रस्तुत कथनों का समर्थन करते है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-111 की विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की, सभी पक्षकारान को प्रकरण में संयोजित नहीं किया, जिससे एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं पाता है। यह उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारान को संयोजित कर उनको पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। परिणामतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2018 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारान को संयोजित कर उनको पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व नियमावली में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	